UPGK120035042015

**न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/ए०सी०जे०एम० बांसगांव, गोरखपुर।**

**उपस्थितः– पुरुषोत्तम अवस्थी (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)**

**J.O. Code U.P. 2477**

**मुकदमा सं०– 513/2015**

मु०अ०सं०– 71/2014

धारा–147,148,149,323 भा०दं०सं०

थाना–उरुवा बाजार, जनपद–गोरखपुर।

राज्य

**बनाम**

1– अहसन रजा पुत्र अब्दुल सत्तार
2– मोनिस रजा पुत्र अब्दुल सत्तार
3– मोहसिन रजा पुत्र अब्दुल सत्तार
4– अब्दुल लईक उर्फ छब्बू पुत्र अब्दुलहई
5– सोनू उर्फ अतारुल हक पुत्र इनामुलहक
6– जिआऊ पुत्र इनामुलहक
7– मोनू पुत्र इनामुलहक
8– अब्दुलहक पुत्र ऐनुलहक
9– सेराज अहमद पुत्र रेयाज
10– अजमल पुत्र ताजमुहम्मद

निवासीगण ग्राम–पहाड़पुर, थाना–उरुवा बाजार, जनपद–गोरखपुर।

## निर्णय

**1.** अभियुक्तगण अहसन रजा, मोनिस रजा, मोहसिन रजा, अब्दुल लईक उर्फ छब्बू, सोनू उर्फ अतारुलहक, जिआऊ, मोनू, अब्दुलहक, सेराज अहमद व अजमल के विरुद्ध मु०अ०सं०– 71/2014, अन्तर्गत धारा–147,148,149,323 भा०दं०सं०, थाना– उरुवा बाजार, जनपद–गोरखपुर में प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर परीक्षण हेतु योजित किया गया।

**2.** संक्षेप में अभियोजन कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी तथा प्रार्थी के पट्टीदार शमशाद आदि के नाम आ०नं० 31 ग मि० रकबा 0.109 हे० व आ०नं० 34 रकबा 0.450 हे० प्रार्थी तथा प्रार्थी के पट्टीदार शमशाद आदि के नाम भूमिधरी की जमीन है, जिसमें मैंने अपने उक्त भूमिधरी का कुछ भाग (हिस्सा) में पोखरी खनवाकर मछली पालन का काम करता हूं। मैंने अपने उक्त पोखरे में पाचिग सेट लगाकर पानी निकलवा रहा था कि प्रधानपति अहसनरजा पुत्र अब्दुल सत्तार द्वारा अवरोध उत्पन्न हुआ तो मैंने दिनांक 18.06.14 को श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया, जिसपर उपजिलाधिकारी महोदय गोला ने आदेश दिया कि आवेदकगण की भूमिधरी में मछली मारने से आवेदकगण को रोका न जाय तथा दिनांक 21.06.2014 को थाना दिवस पर लेखपाल द्वारा स्थानीय निरीक्षण के पश्चात समस्या का समाधान भी हो गया। आज दिनांक 22.06.14 को समय करीब 2 बजे दिन में सैम पुत्र रफत व इमरान पुत्र समीर अहमद व सुफियान पुत्र फिरोज अहमद, अयाज पुत्र कमरुल साकिनान पहाड़पुर थाना उरुवा

बाजार, गोरखपुर अपने उक्त पोखरे का निरीक्षण करने गये कि इतने में अहसन रजा, मोहसिन रजा, मोनिस रजा व शमशुलजेरहा पुत्रगण अब्दुल सत्तार व अब्दुल लइक उर्फ छब्बू व शकील पुत्रगण अब्दुल हक सोनू व जिआऊ व मोनू पुत्रगण एनामुलहक व अब्दुल हक व शमशुल हक पुत्रगण एनुलहक व सेराज पुत्र रेयाज व दीपू पुत्र शकील व अजमल पुत्र ताज मुहम्मद, सुभान अल्लाह पुत्र गुलाम यजदानी तथा इनके साथ पांच अन्य लोग लाठी–डण्डा, बल्लम, फरसा से लैस होकर आये और देखते ही अहसन रजा ने जान से मारने की नियत से सैम पर फरसे बार किया, जो सैम के सिर पर लगा, खून बहने लगा और सभी अभियुक्तगण लाठी–डण्डा व बल्लम, फरसे से इमरान, सुफियान व अयाज को पानी में डुबो–डुबो कर मारा तथा जान से मारने की कोशिश किया। घटनास्थल पर मुकामी पुलिस तथा क्षेत्र के लोग आ गये। गांव में अभियुक्तगण दहशत पैदा कर दिये। घटना की सूचना थाने पर दी गयी जिस पर मामला पंजीकृत किया गया तथा विवेचक द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

**3.** विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण अहसन रजा, मोनिस रजा, मोहसिन रजा, अब्दुल लईक उर्फ छब्बू, सोनू उर्फ अतारुलहक, जिआऊ, मोनू, अब्दुलहक, सेराज अहमद व अजमल के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–147,148,149,323 भा०दं०सं० के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

**4.** अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये और अपनी–अपनी जमानत करायी।

**5.** अभियुक्तगण अहसन रजा, मोनिस रजा, मोहसिन रजा, अब्दुल लईक उर्फ छब्बू, सोनू उर्फ अतारुलहक, जिआऊ, मोनू, अब्दुलहक, सेराज अहमद व अजमल के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–147,148,149,323 भा०दं०सं० के तहत आरोप दिनांक 13.11.2019 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मॉग की।

**6.** अभियोजन पक्ष की तरफ से मौखिक साक्ष्य के रुप में पी0डब्ल्यू01 फिरोज अहमद पी०डब्ल्यू० 2 मुहम्मद सुफियान, पी०डब्ल्यू० 3 तौसिफ अहमद, पी०डब्ल्यू० 4 सैम उर्फ एहतशाम हुसैन व पी०डब्ल्यू० 5 अयाज का साक्ष्य अंकित कराया गया है। अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी को प्रस्तुत नही कराया गया है। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।

**7.** अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 24.03.2026 को अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने घटना से इंकार किया। गवाहों के साक्ष्य के संबंध में साक्ष्य मनगढ़न्त कहा तथा मुकदमा रंजिशन चलाया जाने का कथन किया गया। साथ ही अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य के संबंध में कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने का कथन किया गया है।

**8.** मैंने विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

## <u>साक्ष्य</u>

**9.** अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिये पी0डब्ल्यू01 के रूप में फिरोज अहमद को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 22.06.2014 दिन के करीब 2 बजे की है। मछली मारने के लिए विवाद को लेकर मुल्जिमान अहसन रजा, मोनिस रजा, मोहसिन रजा, अब्दुल लइक उर्फ छब्बू, सोनू उर्फ अतारुल हक, जिआऊ, मोनू, अब्दुल हक, सेराज अहमद व अजमल नाजायज मजमा कायम करते हुए सुफियान उर्फ अहसान, इमरान उर्फ तोहफी तथा एजाज को मारने–पीटने लगे। पीड़ितो की डाक्टरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उरुवा मे हुआ था। घटना की सूचना मैं थाना स्थानीय को दिया था। दरोगा जी घटना के बाद मेरा बयान

लिए।

**10.** उक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा/जिरह की गयी। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा/जिरह मे कथन किया कि दिनांक 22.06.2014 को मुल्जिमान अहसन रजा, मोनिस रजा, मोहसिन रजा, अब्दुल लइक उर्फ छब्बू, सोनू उर्फ अतारुल हक, जिआऊ, मोनू, अब्दुल हक, सेराज, अजमल ने मुझे मारने के लिए घातक हथियार लेकर नाजायज मजमा कायम नही किये थे, न ही बलवा किये थे, न ही मुझे मारे–पीटे थे, न ही सुफियान, सैम, इमरान व अयाज को मारे–पीटे थे।

**11.** उक्त साक्षी से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षा (Re Exam) की गयी। उक्त साक्षी ने कथन किया कि दिनांक 22.06.2014 को दोपहर 2 बजे मुल्जिमान अहसन रजा, मोनिस रजा, मोहसिन रजा, अब्दुल लईक उर्फ छब्बू, सोनू उर्फ अतारुल हक, जिआऊ, मोनू, अब्दुल हक, सेराज अहमद, अजमल से मेरी कहासुनी हो गयी थी, मौके पर मेरा लड़का सुफियान, भतीजा सैम उर्फ एहतसाम हुसैन, इमरान उर्फ तौसिफ व अयाज मौजूद थे। उपरोक्त मुल्जिमान नाजायज मजमा कारित नही किये थे, न ही हथियार लेकर बलवा किये थे, न ही मुझे सुफियान, सैम, इमरान, अयाज को मारे–पीटे थे। मैंने लोगो के कहने पर तहरीर दे दिया था। यह कहना गलत है कि उपरोक्त मुल्जिमान को बचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा हूं।

**12.** अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिये पी0डब्ल्यू0–2 के रूप में मु० सुफियान को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 22.06.2014 दिन के करीब दो बजे गांव के एहसन रजा, मुनीस रजा, मोहसिन रजा, अब्दुल लइक उर्फ छब्बू, सोनू उर्फ अतारुल हक, जिआऊ, मोनू, अब्दुल हक, सेराज अहमद, अजमल मिलजुल कर एकराय से हमारे मछली तालाब के पास मेरे साथ व मेरे भाई सैम उर्फ एहसान, ऐबरान ऐजाज तथा मेरे पिता फिरोज अहमद के साथ लाठी–डण्डा व खतरनाक हथियारो से मारपीट कर चोट नही पहुंचाई थी, न ही योजना बनाकर मेरे और मेरे घर वालो के साथ कोई घटना किये थे, न कोई बलवा किये थे। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं न्यायालय की अनुमति से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षा/जिरह की गयी।

**13.** उक्त साक्षी से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षा/जिरह की गयी। उक्त साक्षी को अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया, जिससे वह इंकार किया और कथन किया कि मैं ऐसा बयान दरोगा जी को नही दिया था, वह कैसे लिख लिए इसकी वजह नही बता सकता। चोटो के बारे में पूछने पर गवाह ने कहा हमारे मछली तालाब के पास कुछ लोग शोर कर रहे थे व झगड़ा कर रहे थे, तो उनको वहां से हटाने गया, तभी गीली मिट्टी में मेरा पैर फिसल गया, जिससे मुझे चोटे आ गयी। किसी ने मारा–पीटा नही था। यह कहना सही है कि मुल्जिमान मेरे ही गांव के है, जिनके साथ मेरा सारा विवाद खत्म हो गया और सुलह–समझौता हो गया है। यह कहना गलत है कि मैं समझौता होने या किसी डर या लालच में आकर झूठा बयान दिया।

**14.** अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिये पी0डब्ल्यू0–3 के रूप में तौसिफ अहमद को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक व समय हमे याद नही है। मुझे सयम उर्फ एहतगाम, सुफियान,एजाज को ऐसान रजा, मुनीस रजा, मोहसीन रजा, अब्दुल रहीम उर्फ छब्बू, सोनू उर्फ अतारुहक, जियाऊ, मोनू, अब्दुल हक, सेराज अहमद व अजमल न ही कभी विधि विरुध तरीके से न ही कभी घातक आयुद्ध से लैस होकर मेरे घर आये, न ही कभी मुझे मारा–पीटा। मैं खेत में काम करते समय फिसलकर गिर गया था, जिससे मुझे कमर में व अन्य शरीर के अन्य भागो में चोटे आ गयी थी, उन्ही चोटो का चिकित्सीय परीक्षण स्वास्थ्य केन्द्र उरुवा मे करा लिया। दरोगा जी ने मेरा बयान नही लिया था। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं न्यायालय की अनुमति से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षा/जिरह की गयी।

**15.** उक्त साक्षी से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षा/जिरह की गयी। उक्त साक्षी को अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया, जिससे वह इंकार किया और कथन किया कि दरोगा जी कैसे लिख लिये, इसकी वजह नही बता सकता। यह कहना सही है कि अभियुक्त से मेरी सुलह हो गयी है, कोई विवाद शेष नही है। यह कहना गलत है कि सुलह होने के कारण न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं। यह कहना भी गलत है कि अभियुक्तगण के भय, दबाव व लालच मे न्यायालय में सही बात नही बता रहा हूं।

**16.** अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिये पी0डब्ल्यू0–4 के रूप में सैम उर्फ एहतशाम हुसैन को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं बी०ए० तक पढ़ा–लिखा हूं। घटना लगभग दस–ग्यारह साल पहले की है। मछली मारने के विवाद को लेकर मेरे पड़ोसी अहसन रजा, मोनिस रजा, जियाउ, मोनू, अब्दुलहक, मेराज अहमद तथा अजमल द्वारा मेरे बड़े पिताजी फिरोज अहमद तथा हम लोगो से कहासुनी हुई थी। लोगो के समझाने–बुझाने पर मामला शांत हो गया था। घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नही लिया था। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं न्यायालय की अनुमति से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षा/जिरह की गयी।

**17.** उक्त साक्षी से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षा/जिरह की गयी। उक्त साक्षी को अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया, जिससे वह इंकार किया और कथन किया कि दरोगा जी को मैंने कोई बयान नही दिया था। दरोगा जी ने कैसे लिख लिया, मैं वजह नही बता सकता हूं। मुझे जो चोटे आयी थी, उपरोक्त मुल्जिमानों के मारने–पीटने से नही आयी थी, बल्कि घटनास्थल पर उपस्थित भीड़ में चले पत्थरबाजी व धक्का–मुक्की के कारण आयी थी, जिसका इलाज मैंने सर्वप्रथम सरकारी अस्पताल उरुवा बाजार में कराया था, उसके बाद सदर अस्पताल गोरखपुर में भी कराया था। उपरोक्त मुल्जिमानों द्वारा व मेरे परिवार के किसी सदस्य को एकराय होकर बलवा करते हुए न मारा–पीटा गया था और न ही गाली–गुप्ता दिया था। मेरा और उपरोक्त मुल्जिमानों के बीच अब सुलह–समझौता हो गया है। अब न तो इस मुकदमा को लड़ना चाहता हूं और न ही गवाह पेश करना चाहता हूं। यह कहना गलत है कि मैं सुलह समझौता होने के कारण न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं।

**18.** अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिये पी0डब्ल्यू0–5 के रूप में अयाज को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना लगभग ग्यारह साल पहले की है। दोपहर दो बजे का समय रहा होगा। मछली मारने की बात को लेकर मुल्जिमान अहसन रजा, मोनिस रजा, मोहसिन रजा, अब्दुल लइक उर्फ छब्बू, सोनू उर्फ अतारुल हक, जियाऊ, मोनू, अब्दुल हक, सेराज अहमद व अजमल से मेरे चाचा फिरोज अहमद की कहासुनी हो रही थी, शोर सुनकर मैं और घर परिवार व गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ काफी थी, उसी भीड़ में से किसी व्यक्ति से मुझे धक्का लग गया था, जिससे मैं जमीन पर गिर गया था और मुझे चोटे आ गयी थी। उपरोक्त मुल्जिमानों ने मुझे व मेरे परिवार वालो को नाजायज मजमा बनाकर मारा–पीटा नही था। दरोगा जी ने मेरा बयान नही लिया था। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं न्यायालय की अनुमति से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षा/जिरह की गयी।

**19.** उक्त साक्षी से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षा/जिरह की गयी। उक्त साक्षी ने कथन किया कि थाने में रिपोर्ट मेरे चाचा फिरोज अहमद ने लिखायी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या–क्या लिखाया था, मैं नही बता सकता हूं। गवाह को धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया, तो गवाह ने उससे इन्कार किया और कहा कि दरोगा जी को मैंने कोई बयान नही दिया था, उन्होंने कैसे लिख लिया, मैं नही जानता हूं। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों के दबाव में आकर आज मैं झूठी गवाही दे रहा हूं।

**20.** अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 फिरोज अहमद, जो स्वयं वादी मुकदमा है, ने अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर बलवा कारित करते हुए मारपीट किये जाने की बात को स्पष्ट रुप से इन्कार किया है तथा साक्षी पी०डब्ल्यू० 2, पी०डब्ल्यू० 3, पी०डब्ल्यू० 4 व पी०डब्ल्यू० 5 ने वादी मुकदमा के कथानक का समर्थन नही किया है।

**21.** इस सम्बन्ध में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एच०पी० एटमिनिस्ट्रेशन– बनाम– ओमप्रकाश ए०आई०आर० 1972 सुप्रीम कोर्ट 975** में यह अवधारित किया गया है कि प्रत्येक संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जायेगा। इसी प्रकार **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरेन्द्र बनाम आसाम राज्य ए०आई०आर० 2008 सुप्रीम कोर्ट 2467** में यह अवधारित किया है कि अभियोजन को अपना पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे सिद्ध करना होगा एवं संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जायेगा।

**22.** उपरोक्त समस्त साक्ष्य के विश्लेष से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप को युक्ति–युक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। फलस्वरूप अभियुक्तगण अहसन रजा, मोनिस रजा, मोहसिन रजा, अब्दुल लईक उर्फ छब्बू, सोनू उर्फ अतारुलहक, जिआऊ, मोनू, अब्दुलहक, सेराज अहमद व अजमल को अन्तर्गत धारा– 147, 148, 149, 323 भा०दं०सं० में आरोपित आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

## आदेश

अभियुक्तगण अहसन रजा, मोनिस रजा, मोहसिन रजा, अब्दुल लईक उर्फ छब्बू, सोनू उर्फ अतारुलहक, जिआऊ, मोनू, अब्दुलहक, सेराज अहमद व अजमल को मु०अ०सं०–71/2014, थाना–उरुवा बाजार, जनपद–गोरखपुर में आरोप अन्तर्गत धारा– 147, 148, 149, 323 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनका जमानतनामा तथा बन्ध–पत्र निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा धारा–437ए के अनुपालन में दाखिल बंधपत्र तथा व जमानतनामें मियाद अपील तक विस्तारित किया जाता है। बाद मियाद अपील बंधपत्र व जमानतनामें निरस्त समझा जायेगा।

दिनांक 11–05–2026

**(पुरुषोत्तम अवस्थी)**
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बॉसगॉव–गोरखपुर।
J.O. Code-UP-2477

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित तथा उदघोषित किया गया।

दिनांक 11–05–2026

**(पुरुषोत्तम अवस्थी)**
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बॉसगॉव–गोरखपुर।
J.O. Code-UP-2477